


कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा भरतपुर संभाग भरतपुर

कार्यालय-आदेश

निम्नांकित सहायक प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ सहायक /कनिष्ठ सहायक / मंत्रालयिक संवर्ग को उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 6 में अंकित स्थान पर तुरन्त प्रभाव से स्थानान्तरण किये जाते हैं। संबंधित संस्था प्रधान /कार्यालयध्यक्ष को निर्देशित किया जाता है कि इन्हे शाला दर्पण के माध्यम से अविलम्ब कार्यमुक्त/ कार्यग्रहण करावें।

क्र०सं०	नाम कार्मिक	पदनाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	जिला	नवीन पदस्थापन स्थान	जिला
1	2	3	4	5	6	7
1	बनयारी लाल राजौरा	ASST.ADM.OFF.	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक करौली	Karouli	राबाउमावि बौली	S.Madhopur
2	राजेश कुमार कटारा हद्वय रोग पीडित	SR.ASST.	राउमावि ललिता मुडिया पंचायत समिति वैर भरतपुर	Bharatpur	राउमावि उनापुर (वैर)	Bharatpur
3	अकरम खान	SR.ASST.	डाईट सवाईमाधोपुर	S.Madhopur	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक सवाईमाधोपुर	S.Madhopur


नोट :- क्र०सं० 01, को नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा। राजस्थान स्वेच्छा ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत पदस्थापित कार्मिकों को पदस्थापन नियमों के अनुसार शहरी क्षेत्र के कार्यालय/विद्यालय हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।


 (रामकेश मीना)
 संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
 भरतपुर संभाग भरतपुर
 दिनांक 30.09.21

क्रमांक:-संनि/स्कूल शिक्षा/भरत/संस्था-1/फा-स्था०मंत्रा/2021-22/292

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 01-विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान सरकार जयपुर
- 02-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान-बीकानेर
- 03-निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान-बीकानेर
- 04-सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
- 05-सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारम्भिक
- 06-सम्बन्धित कार्यालयध्यक्ष/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी /पीईईओ/यूसीईईओ /संस्था प्रधान
- 07-सम्बन्धित कार्मिक
- 08-रक्षित पत्रावली


 संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
 भरतपुर संभाग भरतपुर